न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 48/2025

जीसीएमएस नम्बर :: 2025/245

अपीलाण्ट :–	**बनाम**	**रेस्पोडेण्ट्स :–**
श्रीमती कौशल्या बाई पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार, जाति जैन, निवासी 58 Egambarath street,korukkupet, washerment pet Chennai (TN.)		1. सोहनराज सुराणा पुत्र श्री सोनराज जाति ओसवाल, निवासी ए–45, शास्त्री नगर, जोधपुर जिला जोधपुर (राज.) 2. तहसीलदार रोहट

<u>राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री तरूण संकलेचा

–:: <u>नि र्ण य</u> ::–

दिनांक :– 27.01.2026

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार रोहट द्वारा स्वतः स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 4079 दिनांक 14.10.2024 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता श्री तरूण संकलेचा वक्त बहस उपस्थित हुए। रेस्पो. संख्या 01 को जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त होने के बावजूद वक्त बहस न्यायालय समय में बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर अनुपस्थित। सरकारी पैरोकार उपस्थित। अपीलाण्ट की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट ने सरहद मौजा राजस्व ग्राम खारड़ा, पटवार हल्का खारड़ा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ढ़ाबर, तहसील रोहट जिला पाली की सरहद में स्थित खसरा संख्या 321/3 रकबा 3.1080 हैक्टेयर किस्म सेवज सोयम भूमि में से 2/3 वां हिस्सा रेस्पो. संख्या 01 की खातेदारी दर्जशुदा है। अपीलाण्ट ने रेस्पो. संख्या 01 के हिस्से की उक्त खातेदारी दर्जशुदा भूमि का 2/3 वां हिस्सा रकबा 2.0720 हैक्टेयर जरिये पंजीबद्ध विक्रय–विलेख दिनांक 14.10.2024 को खरीद लिया था। उक्त दस्तावेज के विपरीत जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण के जरिये क्रेता की सही वलदीयत "कौशल्या बाई पत्नी राजेन्द्र कुमार के स्थान पर कौशल्या बाई पुत्र राजेन्द्र कुमार" दर्ज हो गया है, जो विधि

जिला कलेक्टर, पाली

विरूद्ध है। जिस कारण जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण काबिले खारिज योग्य है। अतः जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज फरमावे।

अपीलाण्ट की बहस सुनी गई। श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि हस्ब पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 14.10.2024 में क्रेता की सही वलदीयत ''कौशल्या बाई पत्नी राजेन्द्र कुमार के स्थान पर कौशल्या बाई पुत्र राजेन्द्र कुमार'' दर्ज हो गया है। उक्त जैर पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.10.2024 के विरूद्ध स्वीकृत जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण में पत्नी के स्थान पर पुत्र अंकन होना ही प्रथम–दृष्ट्या त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील–अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 4079 दिनांक 14.10.2024 को अपास्त किया जाकर जैर प्रकरण तहसीलदार, रोहट को प्रति–प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में हस्ब पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 14.10.2024 के अनुसार नव–सरे निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक **27.01.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली